

आदेश

डा0 त्रिवेणी प्रसाद सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जो दिनांक 31.05.2019 को सेवा निवृत्त हुए हैं, के फलस्वरूप बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फौक्स संवाद 2685/वि0 (2) दिनांक 22.4.1998 के आलोक में कुल रूपये 3,09,789/- (तीन लाख नौ हजार सात सौ नबासी) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा0 त्रिवेणी प्रसाद सिंह अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहे हैं तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 20/- 80/- एवं 120/- रूपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे हैं जिसका व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

			मूलधन	व्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	-	13320	239101	252421
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	-	21336	36032	57368
	कुल योग	-	34656	275133	309789

कुल रूपये 3,09,789/- (तीन लाख नौ हजार सात सौ नबासी)रूपये मात्र ।

- 3) यह बजट शीर्ष-8011-बीमा एवं पेंशन निधियों राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।
- 4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे ।
- 5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या-एल-8011001050001 से की जाएगी।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

905(3)

पटना, दिनांक-

1/8/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (ग्रुप बीमा शाखा) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 त्रिवेणी प्रसाद सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । पत्राचार का पता-आर0पी0एस0 मोड़ लेन नं0-10, कैलाश रेसिडेन्सी, बी0 ब्लॉक, फ्लैट नं0-101, जिला-पटना, पिन-801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी - 2/3 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव